कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/शा0शि0ग्रेड II/सी.भ./2013–16 दिनांक 08.09.2016 के द्वारा मण्डल आवंटित अभ्यर्थियों का राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II के पद हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2008 के अनुसार पी.बी.2(9300–34800) ग्रेड पे–4200 के पद पर चयनोपरांत अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न आदेश संख्या 1 में क्रम संख्या 01 से 03 के अनुसार इन अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप मे नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैं। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या–15721/2015 गणेशनारायण माली व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 07.01.2016 के विरूद्ध आयोग/विभाग द्वारा दायर डी.बी सिविल याचिका तथा एतद्‌विषयक विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।

1. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण प्रति से मिलान कर उसकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हे कार्यग्रहण कराया जावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत है, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष हैं। अतः जिन अभ्यर्थियों के द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
7. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
8. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं

प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।

9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
10. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेंगे।
11. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (तीन वर्षीय पाठयक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते है, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेगें। यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी किए गए है, तो उन्हें कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
13. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियो को जारी प्रमाण पत्रो के संबंध मे निम्न बिन्दुओं की जांच किये जाने के उपरांत ही कार्यग्रहण की कार्यवाही करावें :–

(अ) प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे होना चाहिए एवं सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। उक्त प्रमाण पत्र परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 6 माह पूर्व का होने पर नवीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावे।

(ब) उक्त प्रमाण पत्र माता एवं पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित हैं। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वह मान्य नहीं हैं।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **26.09.2016** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज अथवा सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था–2/फा–वशाशि.नियु.2013/2016/30 दिनांक : 16.09.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/शा0शि0ग्रेड II/सी.भ./2013–16 दिनांक 08.09.2016 के सन्दर्भ में।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) जयपुर/अलवर/दौसा
6. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्तानुसार एवं समय–समय राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश–निर्देश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित आशार्थी
8. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

आदेश संख्या–01

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–II

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम मय स्थाई पता	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान (राउमावि / राबाउमावि)	विद्यमान वेतन / नियत पारिश्रमिक
1	989	GE, EX	नरपतसिंह / बगडावत सिंह ग्राम ढाणी बाढान तह0 खेतडी जिला झुंझुनु	01.11.1966	GENM, EX	राउमावि0 बांसा, गोविन्दगढ, जयपुर	विद्यमान वेतन
2	1036	BC, EX	हवासिंह जाट / सुखीराम मु.पो. हरसौली झाडका रोड हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर	07.04.1971	OBCM, EX	राउमावि0 मातौर, मुण्डावर, अलवर	नियत पारिश्रमिक
3	1037	GE, EX	महेन्द्रसिंह / चन्द्रभान मु.पो. नौताना तह0 कनीना जिला महेन्द्रगढ हरियाणा	04.04.1968	GENM, EX	राउमावि0 नांगल पण्डितपुरा, कोटपूतली, जयपुर	नियत पारिश्रमिक

उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा चूरू संभाग, चूरू

कार्यालय–आदेश

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102/शा. शि.ग्रेड–II/सी.भ./2013–16 दिनांक 08.09.2016 एवं उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर के पत्रांक :– शिउनि/मा/जय/संस्था–2/फा–वशाशि.नियु.2013/2016/29 दिनांक 16.09.2016 के द्वारा इस कार्यालय को पदस्थापन हेतु भिजवाये जाने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा **द्वितीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2008 के अनुसार पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड पे–4200 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप सूची के निम्नांकित आशार्थियों को **द्वितीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2008 के अनुसार पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड पे–4200 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:–

1. इनकी पात्रता एवं इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए आगामी निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
2.
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचार रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 10/– रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
6. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।
7. आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:–
   (अ) अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र आगामी कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
   (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें।

उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करावे।

8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
9. जारी किये जाने वाले नियुक्ति आदेश एतद्‌विषयक विभिन्न माननीय न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।
10. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेंगे।
11. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम जारी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही इन्हें नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाया जावें।

इन्हें नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 26.09.2016 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III

क्र सं	मेरिट नं0	वर्ग	नाम आशार्थी मय पिता का नाम व पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान
1	914	BC,EX	जयपंकाश/भंवरलाल ग्राम गंगापुरा पोस्ट खोटिया तह0 रामगढ शेखावाटी जिला सीकर	20-08-1976	OBC M	EX	राउमावि पलसाना पिपराली सीकर
2	995	BC,EX	बाबूलाल/चन्दगीराम ढाणी डूडियों की पोस्ट सेफरागुवार तह0 खेतड़ी जिला झुंझुनूं	06-07-1978	OBC M	EX	राउमावि गढ भोपजी खण्डेला सीकर
3	1031	BC,EX	हेमसिंह भीच्छर/हनुमानसिंह ग्राम पोस्ट तारपुरा वाया कटराथल जिला सीकर	21-09-1970	OBC M	EX	राउमावि धोद सीकर

उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,चूरू

क्रमांकः–उनिशि/माध्य/चूरू/संस्था–ब/सी.भ. 2013/एन.जे./शा.शि.ग्रेड–III/2016
दिनांक– 16.09.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

12. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री राजस्थान सरकार जयपुर
13. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
14. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
15. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक(क–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
16. श्रीमान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
17. श्रीमान् आयुक्त रा.मा.शि.अ. राजस्थान सरकार, जयपुर
18. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
19. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)............................
20. संबंधित संस्था प्रधान,राउमावि/रामावि..................................
21. संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
22. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,चूरू